न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 61/2021

प्रार्थी
विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण
(1) सरपंच, ग्राम पंचायत, दत्ताणी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही
(2) स्वर्गीय श्री सवाराम पुत्र रतनाजी, जाति– रेबारी, निवासी–दत्ताणी, तहसील– रेवदर, जिला सिरोही के वारिसानः–
2/1. मीरा देवी पत्नि श्री सवाराम, जाति– रेबारी, निवासी– दत्ताणी, तहसील– रेवदर
2/2. भगवानराम पुत्र श्री सवाराम, जाति– रेबारी, निवासी– दत्ताणी, तहसील– रेवदर
2/3. रुपाराम पुत्र श्री सवाराम, जाति– रेबारी, निवासी– दत्ताणी, तहसील– रेवदर
2/4. प्रभुराम पुत्र श्री सवाराम, जाति– रेबारी, निवासी– दत्ताणी, तहसील– रेवदर
2/5. लुंगी देवी पुत्री श्री सवाराम पत्नि हरजीराम, जाति– रेबारी, निवासी– बालुन्दरा, तहसील– अमीरगढ़, जिला बनासकांठा (गुजरात)
2/6. फुली देवी पुत्री श्री सवाराम पत्नि टीलाराम रेबारी, निवासी– बुटडी, तह. रेवदर

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः
(1) अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार शाह, अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/6 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 01 जनवरी, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, दत्ताणी द्वारा सवाराम पुत्र रतनाजी, जाति– रेबारी, निवासी–दत्ताणी, निवासी– वास के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 24.5.2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस बिनाय पर प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम पंचायत दत्ताणी में सरपंच द्वारा पंचायत की आबादी भूमि में जारी पुराने गृह विनियमितिकरण के पट्टों की प्राप्त शिकायत की जांच में ग्राम पंचायत दत्ताणी द्वारा पट्टा संख्या 46 दिनाक 24.05 2017 अनियमित जारी किया जाना पाया गया। यह कि श्री सवाराम पुत्र रतनाजी रेबारी, निवासी–दत्ताणी को पट्टा संख्या 46 दिनांक 24.5.2017 को पुराने गृह के विनियमितिकरण के तहत जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टे में अंकित कुल क्षेत्रफल 861 वर्गफीट है जिसका भौतिक सत्यापन अनुसार मौके पर निर्मित क्षेत्रफल 567 वर्गफीट व अनिर्मित क्षेत्रफल 294 वर्गफीट पाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को नियम विरुद्ध पटटा जारी किया गया है। यह कि श्री सवाराम पुत्र रतनाजी रेबारी, निवासी दत्ताणी को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 व नियम 1996 के नियम 157 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत दताणी द्वारा परिपत्र 23 दिनांक 10.1.2013 एवं अधिसूचना कमांक 135 दिनाक 11.2.2013 की भावना के विपरित अनियमित पटटा जारी कर आर्थिक हानि पहुंचाई है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, दत्ताणी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 24.5.2017 को निरस्त किया जावे।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज [illegible] किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस/सम्मन बनाम कायम [illegible] जिस पर निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी [illegible] से अधिवक्ता श्री प्रवीण [illegible] ज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:04:58 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

कुमार शाह उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/6 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से सुनवाई तिथि 17.12.2021 को ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, दत्ताणी उपस्थित हुये, उसके बाद कोई उपस्थित नही हुआ व न ही अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) बहस हेतु नियत तिथि 18.12.2023 को प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। प्रकरण में दिनांक 18.12.2023 को अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/6 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/6 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि विवादित सम्पति अप्रार्थी संख्या 2 के मालकी व पुराने कब्जे भोगवटे की है। इस सम्पति पर अप्रार्थी संख्या 2 का पुश्तैनी कब्जा है व मौके पर पुराना गृह बना हुआ है। अप्रार्थी संख्या 2 व उसके परिवार के सदस्य इस सम्पति को करीब 50 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार, शान्तिपूर्वक व बिना किसी रोकटोक के बतौर मालिक उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। इसी आधार पर ग्राम पंचायत, दत्ताणी ने अप्रार्थी संख्या 2 (सवाराम) के पक्ष में पट्टा संख्या 46 दिनांक 24.5.2017 नियमानुसार जारी किया था। अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त सम्पति का उसके पक्ष में पट्टा जारी होने के पश्चात् अपनी क्षमता से भी अधिक रकम खर्च कर निर्माण कार्य भी करवाया है। जिससे अब अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी उक्त पट्टा निरस्त किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 2 व उसके परिवार के सदस्यो के साथ भारी अन्याय होगा व उन्हें भारी मानसिक, शारीरिक यातनाओ से गुजरना पड़ेगा व आर्थिक नुकसान उठाना पडेगा। उनकी जीवनभर की कमाई व मेहनत पर पानी फिर जावेगा। प्रार्थी द्वारा उक्त कार्यवाही केवल राजनैतिक रंजिश के कारण झूठी शिकायतो के कारण की गई है। जिसके कारण गरीब लोग बेवजह पीस रहे है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, दत्ताणी द्वारा सवाराम पुत्र रतनाजी रेबारी, निवासी– दत्ताणी के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 861 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 46 दिनांक 24.5.2017 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा ... पंचायती राज नियम, 1996 के नियम

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:04:58 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड़ (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति "इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान" के स्थान पर अभिव्यक्ति 31.12.2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान" प्रतिस्थापित की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरोही के पत्र क्रमांकःपंचायत/जांच/2019/418 दिनांक 13.8.2019 से प्रभारी अधिकारी (पंचायत), जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरोही को प्रेषित जांच रिपोर्ट तथा श्री जितेन्द्र सिंह, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आबूरोड़ व श्री शंकरलाल, अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा प्रभारी अधिकारी (पंचायत), जिला कलेक्टर कार्यालय, सिरोही के पत्र क्रमांकःपंचायत/जांच/2020/141—40 दिनांक 06.3.2020 के सन्दर्भ में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की छाया प्रति का अवलोकन किया गया। श्री शंकरलाल, अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर व श्री जितेन्द्र सिंह, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, आबूरोड़ के उक्त जांच प्रतिवेदन में प्रश्नगत पट्टे में अंकित क्षेत्रफल 861 एवं मौके पर भौतिक सत्यापन अनुसार निर्मित क्षेत्रफल 567 वर्गफीट व अनिर्मित क्षेत्रफल 294 होना अंकित किया है।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1)(ख) के अर्न्तगत दिनांक 31.12.2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान बने हुए गृहों के पट्टे जारी किये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांकःएफ. 139()परावि/विधि/नियम/मार्गदर्शन/ 2012/23 दिनांक 10.1.2013 में स्पष्ट किया गया है कि पुराने गृहों की परिधि में परिसर में स्थित उपयोग में आने वाली भूमि भी सम्मिलित होती है। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1)(ख) के अर्न्तगत 2700 वर्गफीट तक पुराने गृह एवं पुराने गृह की परिधि में परिसर में स्थित उपयोग में आने वाली भूमि का पट्टा जारी किया जा सकता है एवं 2700 वर्गफीट से अधिक कब्जे वाली भूमि पर उक्त नियम 157(1)(ii) में वर्णित अनुसार बाजार दर से राशि वसूल करने का प्रावधान है।

चूंकि ग्राम पंचायत, दत्ताणी द्वारा सवाराम पुत्र रतनाजी रेबारी, निवासी— दत्ताणी को 861 वर्गफीट भूमि का ही पट्टा जारी किया है। प्रकरण में जांच अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन अनुसार कुल निर्मित क्षेत्रफल 567 वर्गफीट अंकित किया है तथा क्षेत्रफल 294 वर्गफीट अनिर्मित क्षेत्रफल के रुप में दर्शाते हुये उक्त पट्टे को अविधिक होना अंकित किया है। जबकि पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि पुराने गृहों की परिधि में परिसर में स्थित व आवासीय उपयोग में आने वाली भूमि भी वास्तविक उपयोग, उपभोग व कब्जे में शामिल मानी जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय परिसर में ही पशु बाडा, पशु चारागृह, पेयजल संग्रहण स्थल आदि के रुप में भूमि उपयोग में ली जाती है जिस पर जरुरी नही हो कि भौतिक रुप से पक्की दिवार आदि सरचंनाओं का निर्माण हो। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में मनुष्य एवं पशुओं के लिये कच्चे घर एवं बाड़ें आदि निर्मित किये जाते है जिनकी आयु सीमित होती है तथा इस प्रकार, आवासीय सरंचनाओं का स्वरुप समय समय पर परिवर्तनशील भी रहता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जांच दल द्वारा बिना विधिक प्रावधानों का अध्ययन एवं अवलोकन किये एवं स्वयं के विवेक एवं मस्तिष्क का समुचित उपयोग किये बिना तथा आवश्यक साक्ष्य एवं दस्तावेजात आदि का अवलम्ब लिये बिना केवल फौरी तौर पर कथित जांच करते हुए सरसरी तौर से ग्राम पंचायत, दत्ताणी द्वारा जारी पट्टों के सम्बन्ध में अविधिक होने का निष्कर्ष अंकित कर दिया गया, जो कि अनुचित है।

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:04:58 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन, विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रियों के अवलोकन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से हमारा यह निष्कर्ष है कि ग्राम पंचायत, दत्ताणी द्वारा जारी पट्टा संख्या 46 दिनांक 24.5.2017 को अप्रार्थी संख्या—2 के पक्ष में जारी करने के संबंध में किसी प्रकार की विधिक एवं प्रक्रियागत त्रृटि कारित नही की है। अतः विनम्र अभिमत में प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर का निगरानी आवेदन सारहीन एवं बखूबी साबित नही होने से खारिज किया जाना उचित एवं विधि सम्मत होगा।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन व साबित नही होने से खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01 जनवरी, 2024 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.15 11:04:58 IST
Reason: SelfAttested